न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 293/2022   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/223**
दायर दिनांक :– 06.10.2022   **निर्णय दिनांक :– 05.02.2025**

1. मोहम्मद शरीफ पुत्र नेकु खां जाति मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि पुराना राजस्व ग्राम भाखरिया वर्तमान नया राजस्व ग्राम जानुपुरा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1040 रकबा 89–12 बीघा भूमि किस्म गै.मु.मगरा के रूप में राज्य सरकार के नाम की आई हुई है। उक्त भूमि में से प्रार्थी को पुराना कब्जा काश्त अनुसार रकबा 10–00 बीघा भूमि राज्य सरकार की और से आवंटन हुई जिसका नामान्तरकरण संख्या 10 मौजा भाखरिया प्रार्थी के हक में भरा जाकर स्वीकृत किया गया और प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में नया खाता खसरा नम्बर 1040/1 रकबा 10–00 बीघा कायम किया गया। उक्त नामान्तरकरण भरते समय राजस्व रेकर्ड नक्शा में किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं की गई। उक्त खसरा नम्बर 1040/1 रकबा 10–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज चल आ रही है तथा उक्त खसरा की भूमि पर प्रार्थी का मौके पर आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि में अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बनाये हुवे है। जिसमें वह अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहा है और प्रत्येक वर्ष काश्त के मौसम में अपनी भूमि में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त खसरान् की भूमि पर प्राथी का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी की उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम उसके कब्जा काश्त अनुसार ही हल्का पटवारी को करनी चाहिये थी लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम किये जाने के सेग्रीकेशन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये बिना

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थी की सहमति से अपनी मनमर्जी से अपने हवाले में बैठकर कब्जा काश्त के विपरित उक्त खसरा की विधि विरूद्व तरमीम कर दी है जिसको निरस्त करवाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1040/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का शेखासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1040/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का शेखासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)